"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 अप्रैल 2009— चैत्र 27, शक 1931

भाग 3 (1)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

बिलासपुर, दिनांक 28 मार्च 2009

फार्म-चार
[नियम देखिये]

[लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1962 के नियम (1) के अंतर्गत]

क्रमांक /127/अ. वि. अ./वा-1/09.— आवेदक श्री कुलजीत प्रताप सिंह अरोरा पिता सरदार प्रताप सिंह अरोरा, निवासी पंचवटी कालोनी, ग्राम-मोपका, राजकिशोर नगर बिलासपुर द्वारा " कुलजीत प्रताप सिंह अरोरा चेरिटेबल ट्रस्ट-पंचवटी " स्थान पंचवटी स्क्वायर बिल्डिंग, पंचवटी कालोनी, मोपका, राजकिशोर नगर बिलासपुर को छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत लोक न्यास के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

एतद्‌द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा विचार में लिया जावेगा. इस संबंध में कोई भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट में हित रखता है और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर स्वयं या अपने अभिभावक के माध्यम से या अभिकर्त्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	ट्रस्ट का नाम और पता	:	कुलजीत प्रताप सिंह अरोरा चेरिटेबल ट्रस्ट, पंचवटी स्थान-पंचवटी कालोनी, मोपका, राजकिशोर नगर, बिलासपुर के पास, बिलासपुर छ. ग. हनुमान मंदिर के पास, जिला बिलासपुर छ. ग.
2.	चल संपत्ति	:	ग्राम मोपका, प. ह. नं. 19 तहसील व जिला बिलासपुर में स्थित भूमि ख. नं. 993/2क/17 रकबा 0.44 एकड़ भूमि एवं उस पर स्थित भवन.
3.	अचल संपत्ति	:	1. बजाज सुपर स्कूटर (पुराना) नं. सीजी-10-0840 एक 2. रेफ्रीजेटर गोदरेज (पुराना) एक.

संतोष कुमार देवांगन,
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

जांजगीर, दिनांक 31 मार्च 2009

[छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/उपंजा/परि./08/193.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक /परि./205 दिनांक 13-3-08 के द्वारा आदर्श हरिजन ईंट भट्ठा सहकारी समिति मर्या., बलौदा, जिला जांजगीर जिसका पंजीयन क्रमांक 351/ दिनांक 8-10-93 है को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री जी. आर. मतरा, पद स. वि. अ., नवागढ़ को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जांजगीर छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग./म. प्र. शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /1/5/6/19/एफ/15 दिनांक 27-8-79 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों को जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था के निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31-3-09 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

जांजगीर, दिनांक 31 मार्च 2009

[छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/उपंजा/परि./08/194.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक /परि./207 दिनांक 13-3-08 के द्वारा श्री राम उत्खनन सहकारी समिति मर्या., जर्वे, जिला जांजगीर जिसका पंजीयन क्रमांक 206 दिनांक 22-2-97 है को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री जी. आर. मतरा, पद स. वि. अ., नवागढ़ को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जांजगीर छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग./म. प्र. शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /1/5/6/19/एफ-15 दिनांक 27-8-79 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों को जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था के निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31-3-09 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

जांजगीर, दिनांक 31 मार्च 2009

[छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/उपंजा/परि./08/195.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक /परि./206 दिनांक 13-3-08 के द्वारा सिद्ध बाबा उत्खनन सहकारी समिति मर्या., जर्वे, जिला जांजगीर जिसका पंजीयन क्रमांक 234 दिनांक 21-10-98 है को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री जी. आर. मतरा, पद स. वि. अ., नवागढ़ को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जांजगीर छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग./म. प्र. शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /1/5/6/19/एफ-15 दिनांक 27-8-79 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों को जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था के निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31-3-09 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

जांजगीर, दिनांक 31 मार्च 2009

[छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/उपंजा/परि./08/196.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक /परि./209 दिनांक 13-3-08 के द्वारा महावीर उत्खनन कामगार सहकारी समिति मर्या., बैजलपुर, जिला जांजगीर जिसका पंजीयन क्रमांक 204 दिनांक 22-2-97 है को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री जी. आर. मतरा, पद स. वि. अ., नवागढ़ को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जांजगीर छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग./म. प्र. शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /1/5/6/19/एफ-15 दिनांक 27-8-79 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों को जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था के निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31-3-09 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

जांजगीर, दिनांक 31 मार्च 2009

[छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/उपंजा/परि./08/197.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक /परि./216 दिनांक 14-3-08 के द्वारा जय माता दी उत्खनन कामगार सहकारी समिति मर्या., करमंडी, जिला जांजगीर जिसका पंजीयन क्रमांक 216 दिनांक 23-3-97 है को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री जी. आर. मतरा, पद स. वि. अ., नवागढ़ को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जांजगीर छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग./म. प्र. शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /1/5/6/19/एफ-15 दिनांक 27-8-79 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों को जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था के निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31-3-09 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. के. ठाकुर,
प्र. उप पंजीयक.

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 26 मार्च 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2009/332.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/1474/बिलासपुर दिनांक 18-10-2006 के तहत बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रा. विकास बैंक इम्पा. भ्रिष्ट सहकारी समिति मर्यादित, बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3392 दिनांक 27-6-91 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्री एम. के. अंदे, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मै, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-3-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 26 मार्च 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2009/333.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/953/बिलासपुर दिनांक 8-8-2005 के तहत लीलागर रेत खदान सहकारी समिति मर्यादित, कुली, पंजीयन क्रमांक 329 दिनांक 13-3-2005 विकासखण्ड मस्तुरी, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्री बी. आर. यादव, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मस्तुरी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-3-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 26 मार्च 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2009/334.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/718/बिलासपुर दिनांक 9-6-2006 के तहत खनिज कामगार सहकारी समिति मर्यादित, देवरी, पंजीयन क्रमांक 3884 दिनांक 16-2-98 विकासखण्ड मस्तुरी, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्री बी. आर. यादव, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मस्तुरी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-3-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 26 मार्च 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2009/335.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/977/बिलासपुर दिनांक 8-5-2008 के तहत चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, मगरपारा बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3112 दिनांक 6-10-80 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्रीमति शोभा बदे , सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-3-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

एन. कुजूर,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2009.